पुर्नस्थापित न्याय

˙ उत्तरखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल में

माननीय प्रधान न्यायाधीशाधीश श्री राघवेन्द्र सिंह चौहान और

माननीय श्री न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा

रिट याचिका (पीआईएल) नं. 2021 का 25

निर्णय संरक्षिणः 24 मार्च, 2021 निर्णयः12 अप्रैल, 2021

के मध्य

संजीव कुमार आकाश। और..... याचिकाकर्ता

उत्तराखंड राज्य और अन्य.....उत्तरदाता

याचिकाकर्ता के लिए वकील : सुश्री कामिनी जयस्वाल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राहुल कंसल सहायता द्वारा प्राप्त।

प्रतिउत्तरदाताओं के लिए परामर्शदाता : श्री एन0एस0 पुंडिर, विद्वान डिप्टी एडवोकेट जनरल, साथ में

श्री अनिल कुमार बिष्ट उत्तराखंड राज्य के लिए विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी वकील।

न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश दिएः

निर्णय (माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री राघवेंद्र सिंह चौहान के अनुसार)

याचिकाकर्ता श्री संजीव कुमार आकाश ने वर्तमान जनहित याचिका दिनांक 12.02.2021 सचिव, गृह विभाग प्रतिउत्तरदाता सं0 2 के द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने हेतु प्रस्तुत की है। जिसके द्वारा पुलिस विभाग के अधिकारियों को सितारगंज, हल्द्वानी, हरिद्वार, देहरादून और रुड़की में जेल के वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक के कार्यालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। याचिकाकर्ता ने आगे 12.02.2021 के परिणामी आदेश को चुनौती दी है, जिसे जेल महानिरीक्षक, प्रतिवादी नं 3, जिसके द्वारा पुलिस विभाग के अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है और उन्हें उत्तराखंड राज्य की विभिन्न जेलों में वरिष्ठ अधीक्षक/जेल अधीक्षक के अतिरिक्त प्रभार के साथ तैनात किया गया है।

2. संक्षेप में, मामले के तथ्य यह हैं कि, उत्तराखंड राज्य में जेल विभाग में संरचना के अनुसार, जेल के वरिष्ठ अधीक्षक के तीन स्वीकृत पद हैं। जेल अधीक्षक के नौ स्वीकृत पदों में से चार पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाना है और पांच पदों को जेलर के पद से पदोन्नति के माध्यम से भरा जाना है। वर्तमान में जेल के वरिष्ठ अधीक्षक का एक पद और जेल अधीक्षक के चार पद भरे गए हैं। इसलिए, वर्तमान में वरिष्ठ अधीक्षक के दो पद जेल और जेल अधीक्षक के पांच पद खाली पड़े हैं। राज्य सरकार के अनुसार, जेलों को ठीक से चलाने में आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए, उसने भारतीय पुलिस सेवा (आई. पी. एस.) के अधिकारियों को वरिष्ठ जेल अधीक्षक और जेल अधीक्षक का अतिरिक्त प्रभाव देने का एक सचेत निर्णय लिया है। इसलिए, इस न्यायालय के समक्ष मौजूदा जनहित याचिका।

3. याचिकाकर्ता की वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री कामिनी जयस्वाल ने इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए हैंः–

सबसे पहले, पुलिस अधिकारियों और जेल प्रशासन के अधिकारियों की नौकरी की जिम्मेदारी और प्रशिक्षण अलग–अलग मैदानों में है। पुलिस अधिकारियों का कर्तव्य निवारक और दंडात्मक है, और जांच, रोकथाम और सुरक्षा, और कानून और आदेश के भरण–पोषण के क्षेत्र में फैला हुआ है। दूसरी ओर, दंडविज्ञान और सजा के सिद्धांतों में उभरती आधुनिक प्रवृत्तियों के साथ, जेल विभाग के अधिकारियों का मौलिक कर्तव्य कैदियों की सुरक्षा, सुधार और पुनर्वास है। चूँकि नौकरी की जिम्मेदारियाँ, नौकरी की प्रकृति, मनोवैज्ञानिक बनावट, सोच, आचरण अलग–अलग होते हैं।

पुलिस अधिकारियों और जेल अधिकारियों को काफी अलग होना पड़ता है। जबकि, आम तौर पर एक पुलिस अधिकारी एक अपराधी को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखता है जिसने कानून का उल्लंघन किया है, और इस प्रकार वह निंदा और दंडित होने का हकदार है, जेल विभाग के अधिकारी कैदियों को मनुष्य के रूप में देखते हैं, जिन्होंने गलती की है, जिन्हें सुधारने की आवश्यकता है, जिनके पुनर्वास की आवश्यकता है, और समाज के उत्पादक सदस्यों के रूप में वापस लाए जाने की आवश्यकता है। इस प्रकार, एक पुलिस अधिकारी और एक अपराधी के बीच बातचीत और एक जेल अधिकारी और कैदी के बीच बातचीत के पीछे का दर्शन एक अलग आधार पर खड़ा है। इसलिए, एक को दूसरे के साथ भ्रमित नहीं किया जा सकता है।

दूसरा, इस अंतर को ध्यान में रखते हुए, यहां तक कि कानून ने भी इन दोनों सेवाओं को दो अलग–अलग वर्गों में विभाजित कर दिया है। कानूनों ने उन्हें अलग–अलग अधिकार दिए हैं। इसलिए, इन दो वर्गों को भ्रमित करना मौलिक दर्शन का उल्लंघन होगा, जो इन दो अलग–अलग सेवाओं को नियंत्रित करता है।

तीसरा, दोनों विभागों का यह विभाजन और दोनों विभागों के काम करने के पीछे का दर्शन भारत के लिए अद्वितीय नहीं है। लेकिन इसका दुनिया भर में सार्वभौमिक अनुप्रयोग है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार संयुक्त राष्ट्र ने "कैदियों के उपचार के लिए मानक न्यूनतम नियम" जारी किए हैं, जिन्हें "नेल्सन मंडेला नियम" के रूप में जाना जाता है। ये नियम "कैदियों के साथ व्यवहार और जेल प्रबंधन में अच्छे सिद्धांत और व्यवहार" निर्धारित करते हैं। नियम 74 से 82 "संस्थागत कार्मिक" से संबंधित हैं। नियम

74 "कर्मियों के प्रत्येक श्रेणी के सावधानीपूर्वक चयन" का प्रावधान करता है। यह "उनकी सत्यनिष्ठा, मानवता, पेशेवर क्षमता और उस काम के लिए व्यक्तिगत उपयुक्तता पर जोर देता है जिस पर जेलों का उचित प्रशासन निर्भर करता है।" नियम 74 (3) आगे "पूर्णकालिक आधार पर" जेल कर्मियों की नियुक्ति की आवश्यकता पर जोर देता है। नियम 75 (2) में कहा गया है कि "ड्यूटी पर प्रवेश करने से पहले, सभी जेल कर्मचारियों को उनके सामान्य और विशिष्ट कर्तव्यों के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जो दंड विज्ञान में समकालीन साक्ष्य–आधारित सर्वोत्तम अभ्यास को प्रतिबिंबित करेगा।" नियम 76 में आगे कहा गया है कि नियम 75 (2) में निर्दिष्ट प्रशिक्षण में कम से कम जेल कर्मचारियों के अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में प्रशिक्षण शामिल होगा, जिसमें सभी कैदियों की मानवीय गरिमा का सम्मान करना और कुछ आचरण का निषेध, विशेष रूप से यातना और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या सजा शामिल है। नियम 79 में आगे कहा गया है कि "जेल निदेशक (भारत में जेल अधीक्षक) अपना पूरा कार्य समय आधिकारिक कर्तव्यों के लिए समर्पित करेगा, और अंशकालिक आधार पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। वह जेल के परिसर में या उसके आसपास के क्षेत्र में रहेगा।"

नेल्सन मंडेला नियमों पर भरोसा करते हुए, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस बात पर जोर दिया है कि जेल अधीक्षकों को एक विशेष प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है, जो सभी कैदियों में गरिमा की भावना पैदा करेगा, उन्हें मानवीय बनाएगा और उन्हें कैदियों की दुर्दशा, उनके परिवारों और जेल की स्थितियों के प्रति सचेत करेगा। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने जेल के वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक को अंशकालिक आधार के बजाय पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त करने की आवश्यकता पर जोर दिया है।

चौथा, उत्तर प्रदेश जेल (समूह ए और बी) सेवा नियम, 1982 (संक्षेप में "नियम, 1982") का उल्लेख करते हुए, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि नियम 3 (के) "अधीक्षक, जिला जेल" के पद को "1982 के नियमों के अनुसार नियुक्त पूर्णकालिक अधीक्षक, जेल" के रूप में परिभाषित करता है। नियम, 1982 के नियम 5 (6) के अनुसार, जिला जेल के अधीक्षक को पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा और पचास प्रतिशत नियमित रूप से नियुक्त उप अधीक्षकों/जेलरों में से पदोन्नति द्वारा कम से कम पांच साल की सेवा के साथ उप अधीक्षक, या जेलर या दोनों के रूप में भरा जाना है। इसके अलावा, नियम 14 "रिक्तियों के निर्धारण" से संबंधित है। नियम 15 "प्रत्यक्ष भर्ती की प्रक्रिया" से संबंधित है। नियम 16 "अधीक्षक, जिला जेल के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया" से संबंधित है। इसलिए, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, वरिष्ठ अधीक्षक/जेल अधीक्षक के पद पर नियुक्ति करने की प्रक्रिया नियम, 1982 के नियम 14,15 और 16 द्वारा स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई है। ये नियम वरिष्ठ अधीक्षक/जेल अधीक्षक के पद पर पुलिस कर्मियों की तदर्थ नियुक्ति की अनुमति नहीं देते हैं। इसलिए, आक्षेपित आदेश स्पष्ट रूप से नियम, 1982 का उल्लंघन करते हैं।

पाँचवाँ, यहाँ तक कि दंड प्रक्रिया संहिता भी एक विचाराधीन कैदी को एक निर्धारित अवधि से अधिक समय तक पुलिस हिरासत में रखने से रोकती है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के अनुसार, एक आरोपी को पंद्रह दिनों की अवधि से आगे पुलिस हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। मामले में नब्बे दिनों की अवधि के भीतर जांच पूरी नहीं हुई है, मृत्यु, आजीवन कारावास या दस वर्ष से कम की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए, अपराधी को खंड 167 (2) (ए) (आई) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत जमानत देनी होगी। इसलिए, यहां तक कि दंड प्रक्रिया संहिता विचाराधीन कैदियों को बहुत लंबे समय तक पुलिस हिरासत में रखने की परिकल्पना नहीं करता है। अन्यथा भी, किसी अपराधी को न्यायिक हिरासत में रखते समय, उसे साठ दिनों या नब्बे दिनों की अवधि से अधिक नहीं रखा जा सकता है, यदि जांच निर्धारित अवधि के भीतर पूरी नहीं की गई थी। इसके अलावा, यदि जांच साठ दिनों या नब्बे दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर पूरी की जानी थी, और यदि किसी सक्षम न्यायालय द्वारा जमानत नहीं दी गई थी, तो एक विचाराधीन व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में रखने की आवश्यकता होती है। लेकिन, सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए पुलिस कर्मियों को वरिष्ठ अधीक्षक/जेल अधीक्षक के रूप में नियुक्त करने से, हिरासत को अचानक न्यायिक से पुलिस में बदल दिया जाता है। इसलिए, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि आक्षेपित आदेश पत्र और खंड 167 दंड प्रक्रिया संहिता की भावना का उल्लंघन करते हैं।

अंत में, इस तथ्य के बावजूद कि एक कैदी आंदोलन की स्वतंत्रता खो देता है, वह आनंद लेना जारी रखता है भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत अन्य मूल अधिकार। इसलिए, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देने वाला भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 जेल की कोठरी के अंधेरे कोनों में भी चमकता रहता है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, एक बार

कानून द्वारा एक प्रक्रिया स्थापित हो जाने के बाद–वह भी कुछ दंडात्मक दर्शन द्वारा समर्थित एक प्रक्रिया–राज्य द्वारा इसका उल्लंघ न नहीं किया जा सकता है। इसलिए, राज्य कानूनी रूप से नियमों, 1982 में निहित सेवा नियमों को लागू करने के लिए बाध्य है, दंड प्रक्रिया संहिता की आवश्यकताओं को लागू करने के लिए, संवैधानिक दर्शन को लागू करने के लिए, जैसा कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में सन्निहित है, और "नेल्सन मंडेला नियम" को लागू करने के लिए। इसलिए, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, आक्षेपित आदेश इस न्यायालय द्वारा निर्धारित किए जाने के योग्य हैं।

4. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी वकील श्री अनिल कुमार बिष्ट ने इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित प्रतिवाद उठाए हैं:–

सबसे पहले, प्रधान सचिव, उत्तरांचल प्रशासन द्वारा जारी दिनांक 17.11.2006 के आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि जेल महानिरीक्षक या तो सचिव, गृह, या आई. ए. एस. अधिकारी होंगे, या समकक्ष पदों के होंगे। इसी तरह, अतिरिक्त जेल महानिरीक्षक अतिरिक्त सचिव, गृह/संयुक्त सचिव, गृह के पद से या पीसीएस संवर्ग से होंगे। वास्तव में, वर्तमान में भी, जेल महानिरीक्षक के पद पर आई. पी. एस. संवर्ग से संबंधित व्यक्ति का कब्जा है। इसलिए, वरिष्ठ अधीक्षक/जेल अधीक्षक के पद पर पुलिस कर्मियों की नियुक्ति निश्चित रूप से पुलिस अधिकारियों से की जा सकती है।

दूसरा, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि वर्तमान में जेल के वरिष्ठ अधीक्षक के दो पद और जेल के अधीक्षक के पांच पद खाली पड़े हैं, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि इन पदों पर सीधी भर्ती के लिए कुछ समय की आवश्यकता होगी, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि जेलर के पद पर कोई भी व्यक्ति नहीं है, जिसने वरिष्ठ अधीक्षक/जेल अधीक्षक के पद पर पदोन्नत होने के लिए आवश्यक सेवा के पांच साल पूरे कर लिए हैं, राज्य अस्थायी आधार पर इन दोनों पदों के लिए पुलिस अधिकारियों को प्रभारी बनाना उचित है। इसलिए, विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेशों का समर्थन किया है।

5. जवाब में, याचिकाकर्ता की वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री कामिनी जयस्वाल ने प्रत्युतर दिया है कि दिनांक 17.11.2006 का पत्र राज्य के मामले का समर्थन नहीं करता है क्योंकि, जेल महानिरीक्षक और अतिरिक्त जेल महानिरीक्षक के पद को आई. पी. एस. अधिकारियों से भरने की अनुमति दी जा सकती है, वरिष्ठ अधीक्षक/जेल अधीक्षक का पद नियम, 1982 द्वारा कवर किया गया है। एक बार नियम, 1982 लागू हो जाने के बाद, उन्हें प्रधान सचिव द्वारा जारी केवल एक पत्र द्वारा कमजोर नहीं किया जा सकता है। वास्तव में, वरिष्ठ अधीक्षक/जेल अधीक्षक के पद पर नियुक्ति नियमों, 1982 के अनुसार सख्ती से की जानी चाहिए।

6. विद्वान अधिवक्ता को सुना, आक्षेपित आदेशों को पढ़ा।

7. जेलें मानव सभ्यता जितनी ही प्राचीन हैं।

शुरू में, जेलों को उन लोगों को देरी में लेने के लिए देरी केंद्रों के रूप में बनाया गया था जो राजनीतिक शक्ति के लिए खतरा थे। भगवान कृष्ण के जीवन पर एक प्राचीन ग्रंथ भागवत पुराण के अनुसार, उनके माता–पिता, देवकी और वासुदेव को मथुरा के राजा कंस ने कैद किया था। हालाँकि, सदियों से, जेलों में कानून का उल्लंघन करने वालों को दंडित करने के उद्देश्य से बनाया गया। जल्द ही जेलों का उद्देश्य देरी से सजा में बदल गया। प्राचीन एथेंस में, सुकरात को युवाओं के दिमाग को भ्रष्ट करने के लिए दंडित करने के लिए कैद किया गया था। लंबे कारावास की सजाएं सजा के प्रतिशोधात्मक और निवारक सिद्धांतों को पूरा करती थीं।

8. अठारहवीं शताब्दी के यूरोप में, प्रबुद्धता के युग में, महान अंग्रेजी राजनीतिक सिद्धांतकार, जॉन लॉक ने दावा किया कि हालांकि पुरुष मूल रूप से अच्छे होते हैं, लेकिन "समाज में कुछ हताश पुरुषों" को नीचे रखने के लिए अभी भी कानूनों और जेलों की आवश्यकता थी। इसलिए समाज को दूसरों के उत्पीड़न से बचाने के लिए जेलों की आवश्यकता थी।

9. हालाँकि, 1700 के दशक में, सर विलियम ब्लैकस्टोन जैसे ब्रिटिश न्यायाधीशों ने लोगों को फांसी देने और अन्य कठोर दंडों के उपयोग की आलोचना की। 1777 में, ब्रिटिश सुधारक, जॉन हॉवर्ड ने "द स्टेट ऑफ द प्रिजन्स इन इंग्लैंड एंड वेल्स" नामक अपनी पुस्तक प्रकाशित की। पहली बार, उन्होंने सुधार के सिद्धांत को पेश किया। कैदियों को उनके अपराध के बारे में जागरूक करना, और उन्हें अपने गलत कार्य के लिए प्रायश्चित करने के लिए प्रेरित करना, जिससे उनकी आत्मा और मन की सफाई हो ताकि वे व्यक्तियों के रूप में खुद को सुधार सकें। क्योंकि कैदियों को पश्चाताप (गलत करने के लिए खेद) महसूस करने के लिए प्रेरित किया गया था, इसलिए जेलों को "जेलों" के रूप में जाना जाने लगा।

10. अटलांटिक के दूसरी ओर, 1787 में, संयुक्त राज्य अमेरिका के एक शहर, फिलाडेल्फिया के संस्थापकों, क्वेकर्स ने "फिलाडेल्फिया सोसाइटी फॉर एलीविएटिंग द मिसरीज ऑफ पब्लिक प्रिजन्स" (वर्तमान में पेंसिल्वेनिया प्रिजन सोसाइटी के रूप में जाना जाता है) का गठन किया। क्वेकरों के अनुसार, एक कैदी को कड़ी मेहनत और ध्यान द्वारा से सुधार किया जा सकता है। उन्होंने विभिन्न समूहों में अपराधियों के वर्गीकरण की शुरुआत की। जबकि सबसे खतरनाक अपराधियों को दूर रखा जाना था, छोटे अपराधों के अभियुक्तों को सुधारा जा सकता था। उनके प्रयासों के कारण, 1790 में, संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली जेल थी जिसे "फिलाडेल्फिया की वॉलनट स्ट्रीट जेल" के रूप में जाना जाता था।

11. 1835 में, लॉर्ड मैकाले ने भारत में विधान परिषद को एक ध्यान दें प्रस्तुत किया क्योंकि वह भारतीय जेलों में प्रचलित भयावह और अमानवीय परिस्थितियों से हैरान थे। अगले वर्ष, 02.01.1836 को, लॉर्ड विलियम बैंटिक ने एक "जेल अनुशासन समिति" का गठन किया। इस समिति की रिपोर्ट, लॉर्ड ऑकलैंड को प्रस्तुत की गई। 1838, ने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, अनुशासन में ढिलाई और

पुरुषों और महिलाओं के साथ दुरुपयोग का खुलासा किया, जिन्हें कैद किया गया था। हालाँकि, आश्चर्यजनक रूप से, समिति ने अपराधियों में सुधार के विचार को अस्वीकार कर दिया।

12. वर्षों से, 1877 में आयोजित "विशेषज्ञों के सम्मेलन" और 1888 में "चौथे जेल आयोग" ने सिफारिश की कि ब्रिटिश भारत में काम करने वाली सभी जेलों में एकरूपता होनी चाहिए। चूंकि भारतीयों को प्रजा के रूप में देखा जाता था, न कि नागरिक के रूप में, क्योंकि अंग्रेज खुद को शासक के रूप में देखते थे, इसलिए उन्होंने कठोर कारावास की सजा, और यहां तक कि जेलों की सीमा के भीतर दंड की सिफारिश की, जैसे कि कोड़े मारना और एकांत कारावास, और कैदियों को बोरे में रखना। "विशेषज्ञों के सम्मेलन" और "चौथे जेल आयोग" की सिफारिशों का परिणाम "1894 के जेल अधिनियम" का अधिनियमन था। कारागार अधिनियम, 1894 आज भी अधिकांश जेलों को नियंत्रित करता है।

13. अखिल भारतीय जेल समिति (1919–1920) ने पहली बार जेल प्रशासन के उद्देश्यों में से एक के रूप में अपराधियों के सुधार और पुनर्वास की सिफारिश की। समिति ने बताया कि जेल कर्मचारियों का पर्याप्त प्रशिक्षण, और जेल सेवा में कार्यकारी/अभिरक्षा, मंत्री और तकनीकी कर्मचारियों को अलग करने के बारे में समिति का मानना था कि पुलिस कर्मचारियों को दिए जा रहे प्रशिक्षण की तुलना में जेल कर्मचारियों को एक अलग प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है।

14. स्वतंत्रता के बाद, कई समितियों का गठन किया गया है, जिसकी शुरुआत डॉ डब्ल्यू0 सी0 रेकलेस, एक यू0 एन0 द्वारा की गई जेल सिफारिशों से हुई है। सुधारात्मक कार्य पर विशेषज्ञ "भारत में जेल प्रशासन" पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय, उन्होंने सजा के सुधारात्मक सिद्धांत की वकालत की, उन्होंने सुधारात्मक कर्मियों के विशेष प्रशिक्षण पर जोर दिया, उन्होंने उचित रूप से प्रशिक्षित कार्मिक कर्मचारियों के कैडर की आवश्यकता पर जोर दिया।

15. 1972 में, भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने एक "जेलों पर कार्य समूह" नियुक्त किया। 1973 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में समिति ने फिर से जेल कर्मियों के उचित प्रशिक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया। इसने इस बात पर भी जोर दिया कि "जेल प्रशासन को राष्ट्रीय योजना प्रक्रिया के सामाजिक रक्षा घटकों के अभिन्न अंग के रूप में माना जाना चाहिए"। इस प्रकार, जेल प्रशासन का आधार जेल की आबादी की रक्षा, सुधार और पुनर्वास करना था। इसके अलावा, जेल की आबादी को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन यह एक ऐसी आबादी है, जिसे उत्पादक होने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इसलिए, कौशल उन्नयन एक अनिवार्य शर्त है।

16. 1980 में, भारत सरकार ने माननीय न्यायाधीश ए. एन. मुल्ला की अध्यक्षता में "जेल सुधारों पर अखिल भारतीय समिति" का गठन किया। मुल्ला समिति ने 658 सिफारिशें प्रस्तुत कीं। समिति के अनुसार, देश की जेलें सामाजिक परिवेश में अपराधियों को उचित सुधारात्मक व्यवहार देकर उन्हें सुधारने और फिर से एकजुट करने का प्रयास करेंगी। सबसे महत्वपूर्ण सिफारिशों में से एक यह है कि "जेल सेवाओं को एक पेशेवर कैरियर सेवा के रूप में विकसित किया जाएगा। राज्य उचित नौकरी की आवश्यकताओं, ठोस प्रशिक्षण और उचित पदोन्नति के अवसरों के आधार पर एक सुव्यवस्थित जेल संवर्ग विकसित करने का प्रयास करेगा। जेलों का कुशल संचालन, निस्संदेह, जेल कर्मियों के व्यक्तिगत गुणों, शैक्षिक योग्यताओं, पेशेवर क्षमता और चरित्र पर निर्भर करता है। जेल कर्मियों की स्थिति, परिलब्धियां और अन्य सेवा शर्तें उनकी नौकरी की आवश्यकताओं और जिम्मेदारियों के अनुरूप एक अखिल भारतीय सेवा, अर्थात् "भारतीय कारागार और सुधारात्मक सेवा" का गठन किया जाएगा ताकि उच्च स्तर पर बेहतर योग्य और प्रतिभाशाली व्यक्तियों को शामिल किया जा सके। जेल कर्मियों का उचित प्रशिक्षण "राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राज्य स्तरों पर विकसित किया जाएगा।"

17. गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने 17.07.2009 को प्रधान सचिव (कारागार)/सचिव (गृह) (कारागार प्रभारी)–सभी राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के कारागारों के प्रभारी महानिदेशक/आईजी–सभी राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा था, जिसमें उसने भारत में प्रचलित कारागार प्रशासन और जेल प्रणाली के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए बड़ी संख्या में निर्णयों पर जोर दिया था। इसने आगे कुछ सिफारिशें की थीं जो इस प्रकार हैं:–

(i) विभिन्न विषयों में जेल कर्मचारियों के लिए बुनियादी और सेवा में प्रशिक्षण की सामान्य जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त कुशल और अच्छी तरह से योग्य निर्देशात्मक कर्मचारियों के साथ राज्य में अच्छी तरह से सुसज्जित प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे की स्थापना।

(ii) विभिन्न श्रेणियों में मानदंडों के अनुसार जेल कर्मचारियों के लिए पर्याप्त पदों का सृजन, सुरक्षित अभिरक्षा, सुधार, पुनर्वास, स्वास्थ्य देखभाल, कानूनी सहायता आदि की परिचालन संबंधी आवश्यकताएँ।

(iii) वर्तमान में 17.58 प्रतिशत (2006 में) तक की सभी रिक्तियों को समयबद्ध सीमा के भीतर भरना और समय पर प्रशिक्षण, पदोन्नति, भर्ती आदि द्वारा से उचित कैडर प्रबंधन सुनिश्चित करना।

18. दशकों से, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कैदियों के बचाव में तेजी दिखाई है। सर्वोच्च न्यायालय ने न केवल कैदियों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का संरक्षण दिया है, बल्कि सुधार और कैदियों के पुनर्वास के दंडात्मक दर्शन पर भी जोर दिया है। इस प्रकार, इसने एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित जेल कर्मचारियों की आवश्यकता पर जोर दिया है, जो पूर्णकालिक आधार पर कैदियों की जरूरतों को पूरा करेंगे।

19. हाल ही में, 1382 कारागारों में अमानवीय परिस्थितियों के मामले में, पुनः (2018) 18 एस. सी. सी. 777 में, कारागार प्रशासन और कारागार प्रबंधन में सुधार की सख्त आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने "कारागार सुधार" पर एक सर्वोच्च न्यायालय समिति का गठन किया है जिसमें शामिल हैं (i) माननीय न्यायमूर्ति अमिताव रॉय, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायालय इसके अध्यक्ष के रूप में, (ii) पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो इसके सदस्य के रूप में, और (iii) महानिदेशक (कारागार) तिहाड़ जेल, नई दिल्ली इसके सदस्य के रूप में। समिति ने जेलों में कर्मचारियों की व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं:

"कर्मचारियों की भर्ती"

माननीय न्यायालय इस संबंध में निम्नलिखित निर्देश जारी कर सकता है:–

(अ) सभी राज्य सरकारें निम्नलिखित समयसीमा के साथ विभिन्न रैंकों में मौजूदा रिक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाएंगी।

(i) स्थायी रिक्तियों के खिलाफ नियमित भर्ती के मामले में, भर्ती आदेशिका तीन महीने के भीतर शुरू होनी चाहिए और अधिकतम एक वर्ष के भीतर पूरी की जानी चाहिए।

(ii) सभी पदोन्नति रिक्तियों को छह महीने के भीतर भरा जाना चाहिए।

20. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, संयुक्त राष्ट्र ने "नेल्सन मंडेला नियम" जारी किए हैं, जो "कैदियों के साथ व्यवहार के लिए मानक न्यूनतम नियम" से संबंधित हैं। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, ये नियम स्वीकार किए गए अच्छे सिद्धांतों और प्रथाओं को निर्धारित करते हैं।

कैदियों के साथ व्यवहार और जेल प्रबंधन। नियम 74 से 82 "संस्थागत कार्मिक" से संबंधित हैं।

21. नियम 74 इस प्रकार है:–

"नियम 74

1. कारागार प्रशासन प्रत्येक श्रेणी के कर्मियों के सावधानीपूर्वक चयन का प्रावधान करेगा, क्योंकि यह उनकी सत्यनिष्ठा, मानवता, व्यावसायिक क्षमता और कार्य के लिए व्यक्तिगत उपयुक्तता पर निर्भर करता है।

2. कारागार प्रशासन लगातार कर्मियों और जनता दोनों के मन में इस विश्वास को जागृत करने और बनाए रखने का प्रयास करेगा कि यह कार्य बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक सेवा है और इसके लिए जनता को सूचित करने के सभी उपयुक्त साधनों का उपयोग किया जाना चाहिए।

3. पूर्वगामी उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए, कर्मियों को पूर्णकालिक आधार पर पेशेवर जेल कर्मचारियों के रूप में नियुक्त किया जाएगा और केवल अच्छे आचरण, दक्षता और शारीरिक फिटनेस के अधीन कार्यकाल की सुरक्षा के साथ सिविल सेवा का दर्जा होगा। वेतन उपयुक्त पुरुषों और महिलाओं को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए पर्याप्त होगा, काम की सटीक प्रकृति को देखते हुए रोजगार लाभ और सेवा की शर्तें अनुकूल होंगी।"

22. नियम 75 इस प्रकार है:–

"नियम 75

1. जेल के सभी कर्मचारियों के पास शिक्षा का पर्याप्त मानक होगा और उन्हें पेशेवर तरीके से अपने कर्तव्यों को पूरा करने की योग्यता और साधन दिए जाएंगे।

2. ड्यूटी पर प्रवेश करने से पहले, सभी जेल कर्मचारियों को उनके सामान्य और विशिष्ट कर्तव्यों के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जो दंड विज्ञान में समकालीन साक्ष्य–आधारित सर्वोत्तम अभ्यास को प्रतिबिंबित करेगा। केवल वे उम्मीदवार जो इस तरह के प्रशिक्षण के अंत में सैद्धांतिक और व्यावहारिक परीक्षाओं को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करते हैं, उन्हें जेल सेवा में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी।

3. कारागार प्रशासन कर्तव्य पर प्रवेश करने के बाद और उनके कार्यकाल के दौरान अपने कर्मियों के ज्ञान और व्यावसायिक क्षमता को बनाए रखने और सुधारने की दृष्टि से सेवा प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का निरंतर प्रावधान सुनिश्चित करेगा।"

23. नियम 76 इस प्रकार है:–

"नियम 76

1. नियम 75 के पैराग्राफ 2 में निर्दिष्ट प्रशिक्षण में, कम से कम, निम्नलिखित पर प्रशिक्षण शामिल होगा:

(अ) प्रासंगिक राष्ट्रीय कानून, विनियम और नीतियों के साथ–साथ लागू होने वाले अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय साधन, जिनके प्रावधानों को कैदियों के साथ जेल कर्मचारियों के काम और बातचीत का मार्गदर्शन करना चाहिए।

(ब) अपने कार्यों के प्रयोग में जेल कर्मचारियों के अधिकार और कर्तव्य, जिसमें सभी कैदियों की मानवीय गरिमा का सम्मान करना और कुछ आचरण का निषेध, विशेष रूप से यातना और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या सजा शामिल है।

(स) सुरक्षा और सुरक्षा, जिसमें गतिशील सुरक्षा की अवधारणा, बल और संयम के उपकरणों का उपयोग, और हिंसक अपराधियों का प्रबंधन, बातचीत और मध्यस्थता जैसी निवारक और निष्क्रिय तकनीकों पर विचार करना शामिल है।

(द) प्राथमिक चिकित्सा, कैदियों की मनोसामाजिक जरूरतें और जेल की व्यवस्था में संबंधित गतिशीलता, साथ ही सामाजिक देखभाल और सहायता, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दा का जल्द पता लगाना शामिल है।

2. जेल कर्मचारी जो कैदियों की कुछ श्रेणियों के साथ काम करने के प्रभारी हैं, या जिन्हें अन्य विशेष कार्य सौंपे गए हैं, उन्हें प्रशिक्षण प्राप्त होगा जिसमें एक संबंधित फोकस होगा।"

24. नियम 79 इस प्रकार हैः–

"नियम 79

1. जेल निदेशक को चरित्र, प्रशासनिक योग्यता, उपयुक्त प्रशिक्षण और अनुभव के आधार पर अपने कार्य के लिए पर्याप्त रूप से योग्य होना चाहिए।

2. जेल निदेशक अपना पूरा कार्य समय आधिकारिक कर्तव्यों के लिए समर्पित करेगा और उसे अंशकालिक आधार पर नियुक्त नहीं किया जाएगा।वह जेल के परिसर में या उसके आसपास के क्षेत्र में रहेगा।

3. जब दो या दो से अधिक जेल एक निदेशक के अधिकार में हों, तो वह उनमें से प्रत्येक का दौरा करेगा लगातार अंतराल। इनमें से प्रत्येक जेल का प्रभारी एक जिम्मेदार निवासी अधिकारी होगा।"

(जोर जोड़ा गया)।

25. चूंकि भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है, इसलिए ये नियम देश के लिए समान रूप से बाध्यकारी हैं। इसलिए, न तो इन नियमों, न ही विभिन्न समितियों की सिफारिशों, और न ही गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 17.07.2009 को जारी किए गए पत्र को संभवतः राज्य द्वारा नजरअंदाज किया जा सकता है।

26. ये सभी सिफारिशें और नियम उस महान परिवर्तन के अनुरूप हैं, जो दंड के सिद्धांत में हुआ है "प्रतिशोध और निरोध" के सिद्धांत से, हम "कैदियों के सुधार और पुनर्वास" के युग में आ गए हैं। ये समिति की सिफारिशें और नेल्सन नियम जेल कर्मियों को सावधानीपूर्वक चुनने की आवश्यकता पर जोर देते हैं, ताकि वे सेवा में शामिल होने से पहले और उसके बाद, नियुक्ति को पूर्णकालिक, नियमित नियुक्ति के रूप में, कठोर प्रशिक्षण प्रदान कर सकें।जब इन कारकों को जेल प्रशासन में शामिल किया जाता है, तभी जेल प्रणाली कैदियों की सुरक्षा, सुधार और पुनर्वास में सफल होती है।अन्यथा, यह एक आत्म–पराजय प्रस्ताव है।

27. कहने की जरूरत नहीं है कि पुलिस का उद्देश्य सुधार करना या पुनर्वास करना नहीं है, बल्कि अपराध की घटना को रोकना और अपराधियों को दंडित करना है। इसलिए, एक पुलिस कर्मी का प्रशिक्षण एक अलग उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए और कानून द्वारा निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों के साथ किया जाता है। इस प्रकार, पुलिस प्रशासन और जेल प्रशासन के दर्शन में एक बड़ा अंतर है। इसलिए, यहां तक कि उनका प्रशिक्षण और पुलिस कर्मियों और जेल कर्मियों का मनोविज्ञान भी अलग–अलग हैं।

28. दो प्रणालियों में अंतर को ध्यान में रखते हुए, नियम, 1982 में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि अधीक्षक, जिला जेल का पद अनिवार्य रूप से नियम, 1982 के अनुसार भरा जाना चाहिए। नियम, 1982 का नियम 5 (6) इस प्रकार हैः–

5 (6) अधीक्षक, जिला जेल।–

(i) आयोग द्वारा से सीधी भर्ती द्वारा कैडर में 50 प्रतिशत पद।

(ii) नियमित रूप से नियुक्त उप अधीक्षकों/जेलरों के बीच से जेलरों के उप अधीक्षकों के रूप में या दोनों के रूप में न्यूनतम 5 वर्ष की सेवाओं के साथ आयोग द्वारा से पदोन्नति द्वारा कैडर में 50 प्रतिशत पद।"

29. नियम, 1982 का नियम 14 इस प्रकार हैः–

"14. रिक्तियों का निर्धारण।– नियुक्ति प्राधिकरण निर्धारण करेगा और सूचित करेगा।

आयोग को भर्ती के वर्ष के दौरान भरे जाने वाले अधीक्षकों, जिला जेलों के पदों पर रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के तहत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या।"

30. नियम, 1982 का नियम 15 इस प्रकार हैः–

"15. सीधी भर्ती के लिए प्रक्रिया।–

(1) प्रत्यक्ष भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति के लिए आवेदन आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आमंत्रित किया जाएगा जो आयोग के सचिव से भुगतान, यदि कोई हो, पर प्राप्त किया जा सकता है।

(2) किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी प्रवेश प्रमाण पत्र न हो।

(3) लिखित परीक्षा के परिणाम प्राप्त होने और सारणीबद्ध किए जाने के बाद आयोग, नियम 6 के तहत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य लोगों से संबंधित उम्मीदवारों के उचित अभिवेदन को प्राप्त करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, साक्षात्कार के लिए इतने उम्मीदवारों को बुलाएगा कि लिखित परीक्षा के परिणाम पर, आयोग द्वारा इस संबंध में निर्धारित मानक तक आ गए हैं।साक्षात्कार में प्रत्येक उम्मीदवार को दिए गए अंकों को लिखित परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त अंकों में जोड़ा जाएगा।

(4) आयोग लिखित परीक्षा और साक्षात्कार ठीक होना प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों के योग द्वारा प्रकट की गई उनकी प्रवीणता के क्रम ठीक होना उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करेगा और इतनी संख्या ठीक होना उम्मीदवारों की सिफारिश करेगा कि वे नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझते हैं। यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवार कुल मिलाकर समान अंक प्राप्त करते हैं, तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार का नाम सूची में अधिक रखा जाएगा। सूची में नामों की संख्या बड़ी होगी लेकिन रिक्तियों की संख्या के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। आयोग सूची को नियुक्ति प्राधिकरण को भेजेगा।

ध्यान दें प्रतियोगी परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम और नियम ऐसे होंगे जो आयोग द्वारा समय–समय पर निर्धारित किए जाएं।

31. नियम, 1982 का नियम 16 इस प्रकार हैः–

"16. अधीक्षक, जिला कारागार के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया। जिला कारागार के अधीक्षक के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती वरिष्ठता के आधार पर की जाएगी, जो समय–समय पर संशोधित लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया) नियम, 1970 के परामर्श से चयन द्वारा उत्तर प्रदेश पदोन्नति के अनुसार अयोग्य की निरस्त के बशर्ते होगी।"

32. 1982 के इन नियमों के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि जेल अधीक्षक के पद को अनिवार्य रूप से या तो सीधी भर्ती (पचास प्रतिशत) या पदोन्नति (पचास प्रतिशत) द्वारा भरा जाना है। नियम किसी अन्य सेवा से तदर्थ नियुक्ति की अनुमति नहीं देते हैं, बहुत कम पुलिस सेवा से। इसलिए, पद को या तो सीधे खुले बाजार के उम्मीदवारों से भरा जा सकता है, या कम से कम पांच साल का कार्य अनुभव रखने वाले उप अधीक्षकध्जेलर के पद से भरा जा सकता है। इसलिए, आक्षेपित आदेशों द्वारा पुलिस कर्मियों की नियुक्ति स्पष्ट रूप से अवैध है।

33. यद्यपि राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने इस आधार पर आक्षेपित आदेशों का समर्थन करने की कोशिश की है कि जेल महानिरीक्षक और अतिरिक्त जेल महानिरीक्षक को आई. पी. एस. संवर्ग से नियुक्त किया जा सकता है, उक्त तर्क स्पष्ट रूप से है

असमर्थनीय। क्योंकि, एक बार नियम, 1982, जो समूह ए और बी सेवाओं से संबंधित है, स्पष्ट रूप से रिक्ति के निर्धारण के लिए एक प्रक्रिया प्रदान करता है, और पद भरने के लिए चयन और पदोन्नति, उक्त नियमों से विचलित नहीं किया जा सकता है।आखिरकार, यह कानून के निर्धारित दृष्टीकोण है कि एक बार कानून द्वारा एक प्रक्रिया स्थापित हो जाने के बाद, इसे दरकिनार नहीं किया जा सकता है। इसलिए, केवल इसलिए कि जेल महानिरीक्षक और अतिरिक्त जेल महानिरीक्षक का पद आई. पी. एस. संवर्ग के व्यक्तियों से भरा जा सकता है, यह राज्य को वरिष्ठ अधीक्षक/जेल अधीक्षक के पद पर पुलिस कर्मियों की नियुक्ति करके निचले क्षेत्रों के पद को भरने का अधिकार नहीं देता है।

34. ऊपर बताए गए कारणों के लिए, गृह विभाग के सचिव द्वारा दिनांक 12.02.2021 को आक्षेपित आदेश पारित किया गया। 2, और परिणामी आदेश दिनांक 12.02.2021, जेल महानिरीक्षक द्वारा पारित, प्रतिवादी नं। 3, इसके साथ–साथ सेट किए गए हैं।राज्य को सीधे भर्ती द्वारा से या पदोन्नति द्वारा से वरिष्ठ अधीक्षक और जेल अधीक्षक के पदों को तुरंत भरने का निर्देश दिया जाता है। चूंकि नियम अस्थायी उपाय के रूप में तदर्थ पदोन्नति की अनुमति देते हैं, यहां तक कि तदर्थ भी।

नियमित पदोन्नति होने तक राज्य द्वारा पदोन्नति दी जा सकती है। उक्त कवायद को यथासंभव तेजी से और अधिमानतः इस निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने की तारीख से एक महीने के भीतर किया जाएगा।

35. एतद्द्वारा रिट याचिका की अनुमति दी जाती है।

राघवेन्द्र सिंह चौहान, सी0जे0

आलोक कुमार वर्मा, जे0।

डीटीः12 अप्रैल, 2021

राहुल